तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	गया। चूंकि प्रकरण बाजदायरी का है जिसमें अप्रार्थी सं. 3 ता 5 औपचारिक पक्षकार है तथा मुख्य पक्षकारों की तामिल सम्यक रूप से होकर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अतः वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की तलबी बन्द की जाती है तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 01/4/2021 को पेश हो।	
01/4/21	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा०पत्र बाजदायरी स्वीकार कर मूल वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाये हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अप्रार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से होने के उपरान्त उनके हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है जिससे उनकी दरख्वास्त प्रा०पत्र के प्रति मौन स्वीकृति	

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रदर्शित होती है। प्रकरण अचल सम्पति का है और पक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र से होना है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रा० पत्र वाजदावरी स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत प्रा०पत्र से सम्बन्धित मूलवादपत्र इनवानी चीडानाल बनाम फुलानाथ बनाम मु० नं० 268/2013 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/4/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	

Scanned by TapScanner